

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज भंवर लाल टांक निवसी इंगरी हिंगोनिया जिला जयपुर (राज०) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा (राज०) प्रकरण संख्या :- 16/2024 जीसीएमएस नं. :- 2024/34 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-5-24	<p style="text-align: center;">-: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"> पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 29.09.2023 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक/सूचना प्रकोष्ठ/2023/20025 दिनांक 29.02.2024 से इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय के पत्रांक 5062 दिनांक 01.02.2024 से अपीलार्थी/प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि रेस्पोंडेंट द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह रेस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 13-5-24 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाबा दायित दफ़तर हो। 	



(नामित मेहता)

प्रथम अपीलीय अधिकारी

लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा